

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुंझुनू
पीठासीन अधिकारी सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 113/2021

दायर दिनांक-28.10.2021

1/1 सुनन्दा पुत्र स्व० डॉ० दयाल सिंह जाति राजपूत निवासी जाखल तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू

1/2 अनिता सिंह पुत्री स्व० डॉ० दयाल सिंह जाति राजपूत निवासी जाखल तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू

-वादीगण

बनाम

1. गिरवरसिंह पुत्र जयसिंह
2. ओमपाल सिंह पुत्र जयसिंह
3. शिम्भूसिंह पुत्र जयसिंह
4. पुष्पा कंवर पुत्री जयसिंह
5. बलराज सिंह पुत्र संतोष कंवर पत्नी मनोहरसिंह
6. मनदीप सिंह पुत्र संतोष कंवर पत्नी मनोहरसिंह जाति राजपूत निवासीगण ग्राम जाखल तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू
7. प्रबंधक बड़ोदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा जाखल तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू
8. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

-प्रतिवादीगण

वकील वादी : - श्री आदित्य तोलासरिया

वकील प्रतिवादी :- श्री महेश कुमार वर्मा

दावा बाबत घोषणार्थ, दुरुस्ती रिकॉर्ड,
व स्थाई निषेधाज्ञा।

-:: संशोधित निर्णय ::-

दिनांक-17.11.2025

वादी की ओर से प्रा० पत्र 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर संशोधित निर्णय व डिक्री जारी की जाती है जिसका विवरण इस प्रकार है कि :- राजस्व ग्राम जाखल की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 567 रकबा 0.75 है०, खसरा नम्बर 568 रकबा 0.60 है०, खसरा नम्बर 569 रकबा 0.85 है०, खसरा नम्बर 570 रकबा 0.66 है० कुल कित्ता 4 कुल रकबा 2.86 है० भूमि के 1/2 हिस्से का वादीगण को तथा 1/2 हिस्से का प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 को घोषित किया जाता है तथा तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 06 के 1/2 हिस्से पर बैंक रहन यथावत रखा जाकर तथा वादीगण के 1/2 हिस्से को रहन मुक्त किया जाकर घोषित खातेदारी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त कर अमल दरामद करें। उक्त विवादित भूमि के संबंध में प्रतिवादी सं० 1 लगायत 08 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जाता है कि उक्त भूमि के मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। तहसीलदार नवलगढ़ को तहरीर जारी हो। खर्चा पक्षकरान अपना-अपना वहन करेगे। तदनुसार फरमाया जारी हो। निर्णय आज दिनांक 17.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सुशील कुमार सैनी
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट, (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़

(ओ 20 रूल्स 6-7 जाप्ता दिवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़
मुकाम बईजलास सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

दावा बाबत : घोषणार्थ, रिकॉर्ड दुरुस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा।

मुकदमा सं०:- 113/2021

(दयाल सिंह बनाम गिरवर सिंह आदि)

संशोधित पर्चा डिक्री

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़ बहाजिरी..वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

संशोधित निर्णय दिनांक 17.11.2025 निर्णय अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम जाखल की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 567 रकबा 0.75 है0, खसरा नम्बर 568 रकबा 0.60 है0, खसरा नम्बर 569 रकबा 0.85 है0, खसरा नम्बर 570 रकबा 0.66 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 2.86 है0 भूमि के 1/2 हिस्से का वादीगण को तथा 1/2 हिस्से का प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 को घोषित किया जाता है तथा तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 06 के 1/2 हिस्से पर बैंक रहन यथावत रखा जाकर तथा वादीगण के 1/2 हिस्से को रहन मुक्त किया जाकर घोषित खातेदारी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त कर अमल दरामद करें। उक्त विवादित भूमि के संबंध में प्रतिवादी सं0 1 लगायत 08 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जाता है कि उक्त भूमि के मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। तहसीलदार नवलगढ़ को तहरीर जारी हो। खर्चा पक्षकरान अपना-अपना वहन करेगे।

बसक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 17.11.2025 को जारी की गई।

सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.) नवलगढ़
मोहर

.मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
.स्टाम्प अर्जी दावा	04.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	02.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	-	स्टाम्प अर्जी	-
महनताना वकील	-	महनताना वकील	-
खर्चा गवाहान	-	खर्चा गवाहान	-
फीस कमिश्नर	-	फीस कमिश्नर	-
बाबत इजराय हुक्मनामा	-	बाबत इजराय हुक्मनामा	-
मुतफरिक मिजान	06.00	मुतफरिक मिजान	0.00
कुल	12.00		0.00